न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 152/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सत्यवीर पुत्र रिछपाल जाति यादव निवासी ग्राम नासरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:---- प्रतिवादी अपीलांट

बनाम

1 रामसिंह पुत्र रिछपाल जाति यादव निवासी ग्राम नासरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:---- वादी असल रेस्पो0

2 दयाराम पुत्र रिछपाल जाति यादव

3 रघुनाथ पुत्र जयदयाल यादव निवासीयान ग्राम नासरपुर तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

4 उप पंजीयक बहरोड जिला अलवर

5 लैंड होल्डर तहसीलदार बहरोड जिला अलवर

:---- प्रतिवादी तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, बहरोड दिनांक 16.9.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर सिंह यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :– श्री भगवान सहाय शर्मा

3. वकील रेस्पो0स02,3 :– बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 24.12.19

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2019 बाबत इस्तकरारहक, तकसीम आराजी एवं हुकम इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 16.9.2019 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 की सह खातेदारी की आराजी है । सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है । परन्तु प्रतिवादीगण आराजी के विशेष पोर्सन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और बिना तकासमा कराये उक्त पोर्सन को बेचान करने पर आमदा है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील प्रतिवादी सत्यवीर ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रथम तारीख पेशी 9.7.19 नियत की गई थी । उस दिन मैं तहत अदालत में उपस्थित हुआ था और उसी दिन प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत होकर पत्रावली में वास्ते जवाब दिनांक 22.7.19 नियत की गई थी । दिनांक 22.7.19, 14.8.2019, 29.8.2019, 9.9.19 को पीठासीन अधिकारी जी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे । इसके बाद पत्रावली में दिनांक 11.9.2019 नियत की गई थी । दिनांक 11.9.2019 को पीठासीन अधिकारी जी न्यायालय में उपस्थित हुये और उसी दिन प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया था । इससे पूर्व जब पीठासीन अधिकारी जी न्यायालय में उपस्थित ही नहीं थे तो ऐसी स्थिति में दिनांक 11.9.19 को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाना न्यायसंगत नहीं है । मैं प्रतिवादी संख्या 02 था । मेरी दिनांक 11.9.19 को दूसरी ही पेशी थी और उसी दिन जवाब हेतु अंतिम अवसर दे दिया गया । दिनांक 11.9.19 के बाद दिनांक 16.9.19 नियत की गई थी । दिनांक 16.9.19 को तहत अदालत ने अपनी मर्जी से ऑर्डर शीट पर यह लिख दिया कि प्रतिवादी संख्या 02 ने जवाब प्रस्तुत करने से इनकार किया, इसलिये जवाब बंद किया जाता है । जबकि दिनांक 16.9.19 को मिन अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 02 तहत अदालत में उपस्थित भी नहीं हुआ था । दिनांक 16.9.19 को पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 नियत की गई थी । दिनांक 16.9.19 को प्रतिवादी

24/12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

संख्या 4 व 5 की ओर से ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया था और ना ही तहत अदालत ने उनकी जवाबदेही बन्द की, बल्कि तहत अदालत ने प्रतिवादी संख्या 05 लैंड होल्डर तहसीलदार का बिना जवाब आये ही उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई । इस प्रकार अपीलाधीन डिक्री साजबाज होकर नजदीक नजदीक की तारीख पेशी देकर जल्दबाजी में पारित कर दी गई ।नजदीक नजदीक की तारीख पेशी देकर जल्दबाजी में निर्णय पारित करके रेवेण्यू कोर्ट मैन्यूअल रूल्स 208 की अनदेखी की गई है । सी0 पी0 सी0 के प्रावधानों की भी अनदेखी की गई है । निर्णय के सैकिंड पोर्सन का अवलोकन फरमावें, जिसमें लिखा गया है कि प्रतिवादी 1 लगा 3 ने इकबाल जवाब प्रस्तुत किया । मैंने तो जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया तो फिर इकबाल जवाब प्रस्तुत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को कब कब जवाब हेतु अवसर दिया । दो दो चार चार दिन की तारीख पेशी देकर निर्णय कर दिया । अपीलाधीन निर्णय पीठासीन अधिकारी ने कानूनों को ताक पर रख कर पक्षपात करके पारित किया गया है । तीन सह खातेदार अर्थात मैं, वादी और प्रतिवादी संख्या 01 रिछपाल की संतान है । प्रतिवादी संख्या 03 के सम्बन्ध में कहीं पर यह लिखा नहीं गया कि रघुनाथ का कितना हिस्सा है । जयदयाल और रिछपाल भाई भाई है तो दोनों को 1/2, 1/2 भाग के हिस्सेदार बताते हुये 1/2 भाग में से 1/3, 1/3 अर्थात 1/6 हिस्सा वादी को मांगना चाहिये था । विवादित आराजी का पहले से ही तकासमा किया हुआ है । दयाराम कर्ताधर्ता था । मौके पर बंटवारा करा दिया था । चाचा की भूमि अलग कर दी । खाता अलग करा दिया था । आपसी बंटवारा में जो जमीन मिली, उसमें खसरा नम्बर 404, 405, 407, 408, 409 कुल रकबा 4.50 में से 2/3 भाग वादी के हिस्से में आया । विवाद यहीं से पैदा हुआ है । हमने जो मौके पर बंटवारा किया, उसमें चाचा ने मना कर दिया था । इससे विवाद पैदा हुआ है । खसरा नम्बर 390 रकबा 2 एयर कुआ हैं । वादी ने स्वयं का कुआ बताया है, जबकि इसमें मेरा भी हिससा है । दूसरी तरफ इसमें ये 1/3, 1/3 हिस्सा बताते हैं । मुझ से पूछा ही नहींगया कि मुझे कौनसा हिस्सा कब्जा दिया गया । मेरा रास्ता बंद कर दिया । तहत अदालत में वादी ने वाद विभाजन के इनग्रेडियेंटस सही नहीं दिये है । ये तीन बिन्दू सहमति, कोर्ट, कूटरचित हस्ताक्षर, जिनका हवाला वाद पत्र में नहीं है । बटवारा क्यों कराना पडा, इसका हवाला नहीं दिया गया है । ए0आई0आर0 1976 एस0सी0 पेज

29/1/24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

01 पैरा 19 पार्ट द्वितीय के अनुसार ये तीनों बिन्दू आवश्यक है । प्रतिवादी नम्बर 01 और 03 के जवाब पर दिनांक अंकित नहीं है तथा उस जवाब में ये अंकित नहीं है कि किस किस को कौनसा हिस्सा व कब्जा मिला । इकबाल दावा में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि चाचा के कौनसे हिस्से हैं और हम भाईयों के कौनसे हिस्से हैं । पडत का कोई रिकार्ड नहीं है । तहत अदालत ने पक्षकारान के मध्य सदभाविक बटवारा नहीं किया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में ए0 आई0 आर0 1960 एस0सी0 पेज 100, ए0आई0आर0 1976 पार्ट–10 पैरा नम्बर 19 का हवाला दिया ।

4 विद्वान वकील रेस्पो0 सं0 1 का कथन है कि विवादित आराजी सह खातेदारी की है, जिसमें मैं भी सह खातेदार हूं । ये लोग शामलात में मुझे खेती नहीं करने दे रहे थे और अच्छी अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर बेचान करने पर आमदा थे, इसलिये मैंने दावा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर इकबाल दावा प्रस्तुत हुआ था । जिस तथ्य को इन्होंने अपने अपील मीमो के जिम्मन नम्बर 03 में स्वीकार किया है । बाद की तारीखों में जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ । दिनांक 9.7.19 से जवाब का अवसर दिया जा रहा है । इन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो इनका जवाब बंद कर दिया गया । अगर पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहे तो क्या, न्यायालय तो खुलेगा ही । जब पीठासीन अधिकारी उपस्थित नहीं थे तो दोनों ही पक्ष सहमति से तारीख पेशी लेते हैं । प्रकरण में अभी प्राथमिक डिक्री पारित हुई है । कुर्रे कायमी होनी बाकी है । इनके जो भी ऐतराजात हैं , उन्हें तहत अदालत में प्रस्तुत करें । अपील करने का राईट नहीं है । विवादित आराजी का विधिवत बटवारा नहीं हुआ है । आपसी बटवारा का कोई साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत नहीं की है । धारा 53 के तहत मैं अपनी सह खातेदारी की भूमि का विभाजन कराने का अधिकारी हूं । 2014 आर0 आर0 डी0 पेज 302 के अनुसार अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री वैध है । तहत अदालत द्वारा पूर्णरूपेण विवेचन करके अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की है तो फिर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पर स्टे और अपील क्यों । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने अपनी बहस के समर्थन में 1999 आर0

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

बी0 जे0 उच्च न्यायालय पेज 541, 2007 आर0 आर0 डी0 पेज 587, 2015 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 1238 का हवाला दिया ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि प्रथम दृष्टतया प्रकरण पाये जाने पर ही अदालत हाजा द्वारा स्टे दिया गया है और अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है, जिससे हम व्यथित हैं, इसलिये अपील की गई है । आप वादी रेस्पो0 ने तहत अदालत से स्टे क्यों लिया ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट का अपील में मुख्य ऐतराज यही है कि उन्हें जवाब का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अन्य प्रतिवादीगण ने वादी से साजबाज होकर उनकी ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत करवा लिया । इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया । दिनांक 9.7.2019 की ऑर्डर शीट पर अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब इकबाल प्रस्तुत हुआ । दिनांक 22.7.19, 14.8.19, 29.8.19, 9.9.19 की आदेशिकाओं के अनुसार पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे । दिनांक 11.9.19 की ऑर्डर शीट में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 को जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया गया था । दिनांक 16.9.19 को ऑर्डर शीट में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 जवाब प्रस्तुत करने के लिए इनकार किया, जवाब बन्द किया जाता है, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण आपसी भूमि बंटवारा का है, बहस सुनी, प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी होकर बाद कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 19.9.19 को पेश हो ।

7 तहत अदालत की उपरोक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से यह सिद्ध है कि वाद पत्र प्रस्तुत होने के बाद दिनांक 30.4.19 से अपीलाधीन डिक्री दिनांक 16.9.19 तक पीठासीन अधिकारी जी मात्र 3 बार न्यायालय में उपस्थित हुये थे और इसी दौरान सब कार्यवाहियां पूर्ण कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जिसे कि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । इतना ही नहीं, दिनांक 11.9.19 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर पेशी दिनांक 16.9.19 नियत की गई थी और दिनांक 16.9.19 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 02 का जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार दर्शाकर उसका जवाब बंद कर दिया गया और अपीलाधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय पारित कर दिया । जब दिनांक 11.9.19 को प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को भी जवाब हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था तो फिर दिनांक 16.9.19 की ऑर्डरशीट प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की जवाब के सम्बन्ध में मौन क्यों है । इस ऑर्डर शीट में यह अंकन नहीं किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने भी जवाब से इन्कार किया, या क्या उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह स्पष्ट है कि अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का प्रोपर अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा का यह विधिक मत है कि अपीलांट से निर्धारित समय में जवाब प्राप्त कर तथा उभय पक्षों को सुनकर सी0 पी0 सी0 के विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करना न्यायसंगत है । लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है तथा प्रकरण पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किये जाने योग्य है । अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत के अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.9.19 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत का इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 02 से एक माह का अवसर प्रदान करते हुये जवाब प्राप्त करें और सी0 पी0 सी0 के विधिक प्रावधानोंका पालना करते हुये पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करें । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्राथमिक डिक्री की आदेश में सह खातेदारों के हिस्सों का अंकन करें तथा राजस्थान टिनेंसी नियम के नियमों 18 से 21 की पालना करे और तहसीलदार से कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त करके उन पर सुनवाई करते हुये फिर अंतिम डिक्री जारी करें । यदि अपीलांट द्वारा तय समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जवाब बंद करके अन्यों के जवाब के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 24.1.2020 को उपस्थित हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमल राम मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर